

14

12.15 PM

04/03/14

प्ररूप - 2 ड.
(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन-पत्र

परिषद निर्वाचन क्षेत्र से श्री. बिहार (राज्य) की विधान परिषद के लिए नर्वाचन
(भाग - 1)
हम बिहार (राज्य) की विधान परिषद के निर्वाचन के लिए दरभंगा शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम निर्देशित करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम देवानन्द झा (पिता/माता/पति का-
नाम) स्व. रामचन्द्र झा उसका डाक पता ग्राम- गरुआरा, पो. - सिंदिया (पूर्व
आया-बिरोली (आर.आई) जिला- समस्तीपुर उसका नाम 133- समस्तीपुर (सामान्य)
पिन- 848113 उसका नाम 133- समस्तीपुर (सामान्य)
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 33 में क्रम सं० 446 पर
प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम दरभंगा शिक्षक परिषद निर्वाचन
क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट हैं और इस नाम निर्देशन के प्रतीक
स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	दरभंगा शिक्षक निर्वाचक नामावली की भाग सं०	उस भाग की क्रम सं०		
1	2	3	4	5
✓ 1	60	120	प्रमोद कुमार झा	04/03/14
✓ 2	38	131	कृष्ण कुमार चौधरी	04.03.2014
3	57	48	दिवाकर झा	4-3-2014
4	65	03	कुलेश्वर राय	4-3-2014
5	66	43	राम लगन सिंह	4-3-2014
6	66	167	रविन्द्र कुमार ठाकुर	4.3.2014
7	62	84	देवानन्द झा	4-3-2014
8	62	56	शारदानन्द चौधरी	04-03-2014
9	62	92	विरेन्द्र कुमार झा	04.03.2014

प्रस्थापक निर्वाचक क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हो, होने चाहिए।

मैं उपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि:-

(क) मैंने 61 (एकसठ) वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) मैं इस निर्वाचन में निर्दलीय दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी भाषा का नाम, मैं सही रूप से लिखा गया है : और

(घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं दूरभंगा शिक्षक परिषद निर्वाचन क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान परिषद के रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख 04.03.2014.

वेदानन्द भार्गव
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दें।

(भाग - 2)
(अन्यर्था द्वारा भरा जाए)

क्या अन्यर्था को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिये, या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए
सिद्धदोष ठहराया गया है, या नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष
या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हां" में है, तो अन्यर्था निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक नहीं है।
- (ii) पुलिस थाना (थानों) लागू नहीं है। जिला(जिले) लागू नहीं है। राज्य लागू नहीं है।
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके
(जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था लागू नहीं है।
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) लागू नहीं है।
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अन्यर्था को सिद्धदोष ठहराया था लागू नहीं है।
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (गुर्माने) की राशि उपदर्शित करें लागू नहीं है।
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) लागू नहीं है।
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाईल किए गये थे ☒/नहीं
- (ix) फाईल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां लागू नहीं है।
- (x) उस न्यायालय (उस न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाईल
किए गये थे लागू नहीं है।
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, या वह/वे लंबित हैं लागू नहीं है।
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है तो लागू नहीं है।
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लागू नहीं है।
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) लागू नहीं है।

स्थान दरभंगा
तारीख 04-3-2014

वेदानन्दमा-
(अन्यर्था के हस्ताक्षर)

(भाग - 3)

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० -

14

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 04.03.2014 तारीख को 12.15 बजे

अभ्यर्थी/प्रस्तापक वेदान्त का नाम, द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 04.03.2014

सहायक निर्वाची अधिकारी,
शिक्षा विभाग, पंजाब, पंजाब।

रिटनिंग आफिसर -
आयुक्त के सचिव
हरियाणा प्रशासन, पंजाब

(भाग - 4)

नामनिर्देशन-पत्र की प्रतिगृहित या रद्द करनेवाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख 04.03.2014

रिटनिंग आफिसर

(छिद्रण



00000
00000100
375280
INDIA
BIHAR
1996

"प्ररूप 26"
(नियम 4क देखिए)



No. 07 Date 03.3.2014

दरभंगा शिक्षक

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) बिहार विधान परिषद् (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं वेदानन्द झा **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. रामचन्द्र झा

आयु 61 (एकसठ) वर्ष, जो ग्राम - गुरुवारा, पो. - सिंदिया खुर्द

माया - विरोली (आर. आर्.) जिला - समस्तीपुर

पिन - 848113

(डाक का

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं वेदानन्द झा एक स्वतंत्र (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)



(2) मेरा नाम 133-समस्तीपुर (सामान्य) बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 446 के क्रम सं 446 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9934708026 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) 03.3.14 शून्य है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)

वेदानन्द झा

1.	स्वयं	ACEPTJ 3983 B	2012-13	5,46,731.00
2.	प्रति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित-2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	आश्रित-3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

शून्य

यदि अभिरक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेंगी :-

(1) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई	लागू नहीं

है/हैं	लागू नहीं	लागू नहीं
--------	-----------	-----------

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

शून्य ।

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

शून्य ।



सर्वे अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं

वेदा १४३५

(ग)	अधिरूपित दंड	लाभू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लाभू नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	25000=00	5000=00	लाभू नहीं	लाभू नहीं	लाभू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	राशि :- 372254=15 इलाहाबाद बैंक सिंदिया खुद खाता सं. 1-20933507 227 2-50138780 297 पं. नं. बैंक, मोरवा खाता सं.-1693 000400007554	राशि :- 1540747=00 इलाहाबाद बैंक सिंदिया खुद खाता सं.- 105745	लाभू नहीं	लाभू नहीं	लाभू नहीं
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों	शून्य	शून्य	लाभू नहीं	लाभू नहीं	लाभू नहीं

नंदा १८७२

में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
------------------------------	-------	-------	-----------	-----------	-----------

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	81000=00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटर साइकिल BR-33A/ 6088. 2001. 36500=00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	100 ग्राम मू- 320000=00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समस्त कुल मूल्य आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे	3865064=15	1865747=00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

विभाग 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
Reg.-32/91/J

विभाग 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (एकड़ में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति	खेसयन-881 887, 781, 783, 781, 1079, 1110, 1109, 1116, 1117, 1115, 1335, 1072, 1091, 962 3.70 (एकड़) है।	खेसयन-768 769, 667, 1086, 1088, 89 डि० शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



	है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	24.9.91, 15.10.94, 27.10.94, 30.11.94, 31.1.86, 27.12.08	23.5.96 30.11.2007 28.6.96	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	240,000=00	1,25,000=00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1739,500=00	637,650=00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) (अवस्थितियां) संख्यांक (संख्याएं)	मिलजुगला पुराना खेसरा नं. - 826	खेसरा नं. - 799 667	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	400	4000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	400	1900	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	12.8.85 16.8.85	29.7.94 30.11.2007	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	18000=00	85000=00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	मकान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	700000=00	500000=00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	2439500=00	1134650=00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(विषय) कृपा बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का प्रत्येक विवरण दे।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(1)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	मुलाहादा बैंक खिंदिया लुई 85663=00 (के. टी. टी.)	मुलाहादा बैंक खिंदिया लुई 86011=00 (के. टी. टी.)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	85663=00	86011=00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

केदा 17 दस 1-

(ii)	सरकारी शोध : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
	आय-कर शोध	शून्य	शून्य	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
	धनकर शोध	शून्य	शून्य	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादधीन है, यदि हां तो अंतर्लिखित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लिखित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	लाभ नहीं	लाभ नहीं	लाभ नहीं

(9) निम्नलिखित उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं : सेवा निवृत्त शिक्षक
(ख) पति या पत्नी : गृहकार्य

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

1. मैट्रिक - जगता 30 वि०, चन्दाजी - बिहार विधानसभा प्रयोग, समिति, पटना - 1969
 2. प्रारंभिक शिक्षा - समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर - बिहार वि. वि. भू. - 1970
 3. स्नातक - समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर - ल. ना. मि. वि. वि. दरभंगा - 1974
 4. स्नातकोत्तर - राम निरीक्षा कॉलेज, समस्तीपुर - ल. ना. मि. वि. वि. दरभंगा - 1976
 5. डि. पी. ए. - तिरहुत कॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स - बिहार विधानसभा प्रयोग, समिति, पटना - 1980
- (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप के संलेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

वेदान्त

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुल वैदिक नन्द का				
2	डाक का पता	ग्राम - गरुआरा, पो. - सिंदिया खुर्द जाया - बिरोली (अ.र.अ.उ.) जिला - समस्तीपुर 848113				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	133- समस्तीपुर (सामान्य), बिहार				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन)	लागू नहीं				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं				
		 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	ACE PJ 3983 B	2012-13	5,467-31=00		
	(ख) पत्नी या पत्नी	भून्य	भून्य	भून्य		
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पत्नी या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	38,65,064=5	18,65,747=00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



वे. 17/11/11

25

ख	स्थावर आस्तियां					
i.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	240,000=00	1,25,000=00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ii.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iii.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	1739500=00	637650=00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	15,50,25=00	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्व	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	85663=00	86011=00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	स्नातकोत्तर				
	महाविद्यालय -	राम निरीक्षण महाविद्यालय, समस्तीपुर				
	विश्वविद्यालय -	ललित नरामा मिश्र विद्यालय, दरभंगा				
	वर्ष -	1994				



वेदा. न. द. म. व.

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 04.03.2014 को सत्यापित किया गया।



Deponent identified by Manoj Kumar, Advocate, Darbhanga. I identify the deponent who has signed in my presence. Manoj Kumar Advocate 03/3/14

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर

Deponent's Signature

लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं..... 9934708026

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है..... मूल्य

मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... मूल्य



कदागमल